न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 206/2022

अनवान : –

1. जैता देवी पत्नी पतराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।

– सायला

बनाम्

1. अलका पुत्री राकेश नाबालिगान जरिये संरक्षक पिता राकेश जाति ढ़ाढी साकिन जबरासर तहसील नोहर।
2. साहिल पुत्र राकेश नाबालिगान जरिये संरक्षक पिता राकेश जाति ढ़ाढी साकिन जबरासर तहसील नोहर।
3. केसर पुत्री फते खां जाति जाति ढ़ाढी साकिन जबरासर तहसील नोहर।
4. जयमल पुत्र हजारी जाति ढ़ाढी साकिन जबरासर तहसील नोहर।
5. पप्पू खां पुत्र बीरबल जाति ढ़ाढी साकिन जबरासर तहसील नोहर।
6. प्रताप खां पुत्र बीरबल जाति ढ़ाढी साकिन जबरासर तहसील नोहर।
7. बबलू पुत्र जयलाल जाति ढ़ाढी साकिन जबरासर तहसील नोहर।
8. बीबो पत्नी जयलाल जाति ढ़ाढी साकिन जबरासर तहसील नोहर।
9. महेन्द्र खां पुत्र बीरबल जाति ढ़ाढी साकिन जबरासर तहसील नोहर।
10. विनोद पुत्र जयलाल जाति ढ़ाढी साकिन जबरासर तहसील नोहर।
11. विमला पुत्री फतेह खां जाति ढ़ाढी साकिन जबरासर तहसील नोहर।
12. श्योकत अली पुत्र बीरबल जाति ढ़ाढी साकिन जबरासर तहसील नोहर।
13. सकिना पत्नी राकेश जाति ढ़ाढी साकिन जबरासर तहसील नोहर।
14. सुरेन्द्र पुत्र फतेह खां जाति ढ़ाढी साकिन जबरासर तहसील नोहर।
15. सलमा बानो पत्नी अनवर खां जाति मिरासी साकिन जबरासर तहसील नोहर।
16. सलीम पुत्र जयलाल जाति ढ़ाढी साकिन जबरासर तहसील नोहर।
17. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
18. शाखा प्रबन्धक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बिरकाली तहसील नोहर।
19. शाखा प्रबन्धक ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा नोहर तहसील नोहर।
20. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **सायला**
श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **गैरसायलान**

निर्णय दिनांकः 9/10/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 224/219 के ख0न0 161 की 1.2270 हैक्ट, ख0न0 188 की 1.5170 हैक्ट, ख0न0 506/1 की 5.6520 हैक्ट ख0न0 520 की 0.1130 हैक्ट भूमि ख0न0 521/2 की [illegible] हैक्ट भूमि कुल [illegible] हैक्ट भूमि स्थित है जो की संयुक्त खाता की भूमि है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:59:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सायला ने वाद भूमि में अपने हक व हिस्से व कब्जा काश्त की भूमि पर काफी मेहनत व रूपये खर्च कर भूमि को समतल व उपजाऊ बनाया है जिससे गैरसायलान के मन में लालच पैदा हो गया है तथा गैरसायलान सींव डोल व लगान हेतु सायला से रोजाना झगड़ा फसाद करते है इसलिए खाता व लगान अलहदा अलहदा करवा पाने के अधिकारी है।

रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 224/219 के ख0न0 161 की की 1.2270 हैक्ट, ख0न0 188 की 1.5170 हैक्ट, ख0न0 506/1 की 5.6520 हैक्ट ख0न0 520 की 0.1130 हैक्ट भूमि ख0न0 521/2 की 2.5160 हैक्ट भूमि कुल 11.0250 हैक्ट भूमि स्थित है जो की संयुक्त खाता की भूमि है में से गैरसायलान संख्या 1 ता 16 के मौरूसान फतेखां, जयमल, बीरबल पि0 हजारी खां जाति ढाढी साकिन जबरासर तहसील नोहर से ख0न0 188 की 6 बीघा ख0न0 520 की 9 बिस्वा, ख0न0 521 की 9 बीघा 19 बिस्वा कुल 16.8 बीघा भूमि दिनांक 06.08.1980 को सायला ने खरीद की थी तथा वरवक्त कब्जा काश्त सायला के खरीद शुदा खसरेजात का सम्भला दिया था तब से लेकर आज तक सायला उक्त भूमि की सींव व डोल कायम करके काबिज है तथा उपरोक्त खसरेजात की व कब्जा काश्त की भूमि का सायला गैरसायलान से खाता व लगान अलहदा अलहदा करवा पाने की अधिकारी है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला दावा गैरसायलान के खिलाफ इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें की रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 224/219 की कुल 11.0250 हैक्ट भूमि मं सायला के हक हिस्सा व कब्जा काश्त में मदाखलत बैजा न करे एवं वाद भूमि का जब तक खाता व लगान अलग नही हो जाता तब तक वाद भूमि को गैरसायलान रहन, बैय अथवा मुन्तकिल न करें एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 224/219 के खसरा संख्या 188 की 1.5170 हैक्ट, खसरा संख्या 520 की 0.1130 हैक्ट, खसरा संख्या 521/2 की 2.5160 में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

अप्रार्थी स0 1 ता 4 व 10 ता 20 को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी उपस्थित नही और न ही उनकी और से कोई प्लीडर उपस्थित हुआ अतः प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व 8 तथा 10 ता 20 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी स0 5 ता 7 व 9 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया की प्रार्थना पत्र में दर्ज हड़पने की नियम से स्थगन प्राप्त किया जो की खारिज योग्य है । उक्त विवादित भूमि का पूर्वजों के समय से ही बाह्मी बंटवारा हो चुका है तथा सभी काश्तकार उसी मुताबिक कब्जा काश्त में चले आ रहे है। दावा व प्रार्थना पत्र क्लीन हैण्ड पेश नही किया है इसलिए खारिज योग्य है। सह खातेदार किसी अन्य सहखातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही करवा सकता है मुश्तरका भूमि में किसी प्रकार से पाबंद नही किया जा सकता है। उत्तरदातागण गरीब व भोले भाले किसान है जिनको तंग व परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। उत्तरदातागण बिना किसी सींव व डोल के वाद भूमि में अपने अपने कब्जा काश्त में काबिज चले आ रहे है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:59:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की वाद भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जब तक खाता विभाजन नही हो जाता तब तक अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें की वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करें एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में निवेदन किया की वाद खाता विभाजन का है। वाद भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदार दर्ज है। अप्रार्थीगण द्वारा किसी विशेष हिस्से का बेचान नही किया जा रहा है केवल राजस्व रिकार्ड मे दर्ज अपने हक व हिस्सा का बेचना किया जा रहा है, कोई भी खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा का रहन, बैय करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त बिन्दुओं के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में संलग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया। प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण मुश्तकरका खातेदार काश्तकार है जिनके खाता विभाजन का बिन्दु वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्धारित होगा, प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखना देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 224/219 के ख0न0 161 की 1.2270 हैक्ट, ख0न0 188 की 1.5170 हैक्ट, ख0न0 506/1 की 5.6520 हैक्ट ख0न0 520 की 0.1130 हैक्ट भूमि ख0न0 521/2 की 2.5160 हैक्ट भूमि कुल 11.0250 हैक्ट भूमि स्थित है जो की संयुक्त खाता की भूमि है। उभयपक्ष रिकार्डेड खातेदार है।

मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है जो वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है अप्रार्थीगण द्वारा केवल अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल किया जा रहा है अतः अप्रार्थीगण को निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है अप्रार्थीगण सिर्फ अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन व बैय कर रहे है न कि किसी विशेष भू भाग को रहन व बैय कर रहे है चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, अप्रार्थीगण द्वारा अपने हिस्से को रहन व बैय करने से प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति नही होगी क्योंकि अप्रार्थी द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्से को ही रहन, बैय किया जा रहा है न कि प्रार्थी के हिस्से को अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 9/10/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:59:12 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर